COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare
District & Addl. Sessions Judge -I, Jamui ***Pg. 1/2***
A.B.P. No. 788/2026
Khaira P.S Case no.- 215/2026
Ramji Manjhi & others Vs. State of Bihar

आदेश

01.08.2026 खैरा थाना कांड संख्या 215/2026, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 190, 126(2), 115(2), 109(2), 351(2), 352 भा0दा0वि0 से संबंधित है, के अभियुक्तगण 1. **रामजी मांझी** उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता रामखेलावन मांझी, **2. श्याम सुंदर मांझी,** उम्र लगभग 43 वर्ष, पिता रामखेलावन मांझी दोनों निवासी ग्राम–भौंड, थाना–खैरा, जिला–जमुई की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

कांड के सूचक जीमेदार मांझी पिता–स्व0 रिगन मांझी द्वारा थानाध्यक्ष खैरा थाना को दिए गए लिखित आवेदन (प्राथमिकी) के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 23.05.2016 समय करीब 09:00 बजे सुबह में वह अपने जमीन पर काम कर रहा था, इसी बीच उसके गोतीया **रामजी मांझी**, सिधो मांझी, **श्यामसुंदर मांझी,** मिश्रा मांझी एवं नागेश्वर मांझी है। गाली गलौज करते हुए, हाथ में लाठी, डंडा एवं लोहे का फरसा लेकर आये तथा उसके (सूचक के) साथ मारपीट करने लगे, जिससे वह जख्मी हो गया। **रामजी मांझी ने उसके (सूचक के) सर पर फरसा से मारा, जिससे वह जख्मी हो गया और जमीन पर गिर गया।** उक्त सभी लोग उसके (सूचक के) साथ लाठी डंडा से मारपीट किया तथा धमकी दिया कि अगर केस करोगे तो जान से मार देगें। तब हल्ला सुनकर गॉव के लोग जुट और दोनों तरफ से बीच बचाओ किया गया तथा जख्मियों को इलाज कराने हेतु प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, खैरा आए और उसका ईलाज चला। ईलाज के बाद वह पुनः थाना आकर लिखित आवेदन दिया।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि वास्तविकता यह है कि जमीनी विवाद के कारण मारपीट हुई, जिसमें इस कांड के सूचक एवं उसके सहयोगियों ने आवेदक अभियुक्तगण को बुरी तहर से पीटा, जिसके लिए खैरा थाना कांड सं0–214/2026 दर्ज हुआ, उससे बचने के लिए यह कांड दर्ज कराया गया है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन को विरोध किया है।

मैंने अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार रामजी मांझी ने इस कांड के सूचक जीमेदार मांझी के सिर पर फरसा से मारा। कांड दैनिकी के सूचक जिमेदार मांझी का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है, जिसके अनुसार जिमेदार मांझी के शरीर पर कई जख्म पाये गये। मेरे विचार से प्रमुख जख्म "Lacerated wound on middle region of skull size 2"x1/6"x1/8". आगे उल्लेखनीय है कि कांड दैनिकी के पैरा 2 में कांड के सूचक एवं पैरा 10 एवं 11 में साक्षी फुसनी देवी एवं सुको देवी का बयान दर्ज है। सूचक संहित इन साक्षियों ने प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया है। मेरे विचार से रामजी मांझी पर लगा आरोप गम्भीर है तथा मेरे विचार से आवेदक अभियुक्त सं0–1 रामजी मांझी को अग्रिम जमानत प्रदान करना न्यायोचित नहीं है। **अतः आवेदक अभियुक्त सं0–1 रामजी मांझी के लिए यह जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है** किंतु आवेदक अभियुक्त सं0–2 श्याम सुंदर मांझी का प्रश्न है मेरे विचार से इस अभियुक्त पर लगा अभियोग विशिष्ट (Specific) नहीं है। अतः इस आवेदक अभियुक्त श्याम सुंदर मांझी को जमानत से इंकार करना मेरे विचार से उचित नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त सं0–2 श्याम सुंदर मांझी की ओर से दस हजार के दो प्रतिभुओं से समर्थित बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः– विद्वान न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।